

परिचय

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति (40% अथवा अधिक विकलांगता) जिसकी मासिक आय रु.1000/- से अधिक न हो रु. 125/- प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है।

पात्रता

- आयु- कोई सीमा नहीं
- परिवार- 20 वर्ष से अधिक आयु का कोई पुत्र/पौत्र न हो
- आय- बी.पी.एल.
- विकलांगता-40%

यदि पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का हो किन्तु लाभार्थी के पास भूमि 2.5 एकड़ से कम तथा मासिक आय रु 1000/- से कम है ऐसी स्थिति में जैसे पुत्र/पौत्र की आयु 20 वर्ष होने तक की सीमित अवधि के लिए पेंशन दी जा सकती है